कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-103/2017-18/

दिनांक : /01/2018

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर,

जनपद- बागेश्वर।

विषय : जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर का वर्ष मई 2015 से नवंबर 2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 02प्रस्तर तथा STAN मे 02 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-103/2017-18/ दिनांक: /01/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर, जनपद- बागेश्वर

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 103 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
कार्यालय जिला विकास अधिकारी बागेश्वर के माह मई 2015 से नवंबर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.एल. शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एव. श्री अमित कुमार, व.ले.प. श्री एस.के.डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 12.12.2017 से 22.12.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05/05/2015 से 21/05/2015 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2013 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :
2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :
3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :
4. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :
5. कर्मचारियों की संख्या :
6. पंचायतराज की संपत्तियाँ:
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :
8. योजनाओं की संख्या :
9. (अ) सामाजिक संरक्षा :
   (ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभार्थियों की संख्या :

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य : आय-व्यय विवरण के अनुसार

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया

भाग I 2(ii) अ

विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(धनराशि रु. लाख में)

	प्रारम्भिक शेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
वर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य	अवशेष	आधिक्य	अवशेष
2014-15	0.00	128.08	99.871	88.151	2054.44	1950.68	11.720	0.00	0.00	231.84
2015-16	0.00	231.84	116.168	116.168	776.34	855.27	0.00	0.00	0.00	152.91
2016-17	0.00	152.91	149.405	113.016	806.80	870.72	36.389	0.00	0.00	88.99

लेखाओं पर टिप्पणीः-

(1) वर्ष के अन्त मे एक बड़ी धनराशि शेष रहना जिसका तात्पर्य है कि आवंटित धनराशि कार्यदायी संस्थाओ को समयान्तर्गत अवमुक्त नही की जा रही हैं।

(2) योजनाओं का समयान्तर्गत पूर्ण न कराना जिसके कारण अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित रहने से शासन को आदेशानुसार समय से प्रमाणपत्र प्रेषित नहीं किए जा सके हैं।

भाग I 2(ii) ब

विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति (धन. लाख रु. में)

क्रम सं.	वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
1	प्रारम्भिक शेष	128.08	231.84	152.91
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2054.44	776.34	806.80
3	क-केन्द्राशं	1138.08	78.74	71.19
4	ख-राज्यांश	916.36	697.60	735.61
5	ग-अन्य निजी आय	0.00	0.00	0.00
6	व्यय	1950.68	855.27	870.72
7	अवशेष	231.84	152.91	88.99

प्रारूप –2 (11) स

विगत तीन वर्षो में केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

धन0 लाख रू0 में

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त बजट	अन्य प्राप्तियां	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-15	मनरेगा कार्य मद	0.00	1185.50	0.00	1185.50	1185.5	0.00
	मनरेगा प्रशासनिक मद	0.40	71.13	0.00	71.53	71.53	0.00
	रा0 बायोगैस कार्यकम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग	0.40	1256.63	0.00	1257.03	1257.03	0.00
2015-16	मनरेगा कार्य मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	मनरेगा प्रशासनिक मद	0.00	77.75	0.00	77.75	77.75	
	रा0 बायोगैस कार्यकम	0.00	0.987	0.0000	0.9870	0.985	0.00200
	योग	0.00	78.74	0.00	78.74	78.735	0.002
2016-17	मनरेगा कार्य मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मनरेगा प्रशासनिक मद	0	69.99	0.00	69.99	69.99	0.00
	रा0 बायोगैस कार्यकम	0.002	1.195	0.00086	1.19786	1.195	0.00286
	योग	0.002	71.185	0.00	71.18786	71.185	0.00286

जिला विकास अधिकारी,
बागेश्वर ।

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 स0	मद का नाम	वर्ष 2014–15				वर्ष 2015–16				2016.2017				2017.2018				
		प्रा0 अवे0	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा0 अवे0	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा0 अवे0	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा0 अवे0	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	माह नवम्बर में अवेशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	महा0गाधी रा0ग्रा0रो.कार्य मद	0.00	1185.50	1185.50	1185.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	महा0गाधी रा0ग्रा0रो.प्रशास	0.40	71.13	71.53	71.53	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00	69.99	69.99	69.99	0.00	81.53	81.53	80.12	1.41
3	रा0 बायोगैस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.000	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	विधायक निधि	127.49	548.27	675.76	501.36	174.40	551.73	726.13	575.31	150.82	550.00	700.82	618.26	82.56	550.00	632.56	90.02	542.54
5	जिला योजना	0.00	113.35	113.35	113.35	0.0	96.20	96.20	96.20	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	127.00	127.00	98.30	28.70
6	एकल पेयजल योजना	0.19	31.19	31.38	26.44	4.94	5.92	10.86	8.77	2.09	21.86	23.95	17.52	6.43	0.00	6.43	2.42	4.01
7	मेरा गांव मेरी सडक	0.0	105.00	105.00	52.50	52.50	43.75	96.25	96.25	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दीन दयाल ग्रामीण आवास	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	128.08	2054.44	2182.52	1950.68	231.84	776.34	1008.18	855.27	152.91	806.80	959.71	870.72	88.99	758.53	847.52	270.86	576.66

जिला विकास अधिकारी,
बागेश्वर ।

भाग 2(ii)

प्रस्तर सं0 01- रु. 1.99 लाख ब्याज प्राप्ति की धनराशि राजकोष में जमा न करना।

उत्तराखण्ड शासन प्रमुख सचिव वित्त के पत्रांक 347/वि.अ.निदे./(तृ.रा.वि.अ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के आदेश अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि जो कि लम्बे समय तक बैंक खातों मे जमा रहती है तथा जिन पर व्यय न होने के कारण ब्याज की राशि अर्जित होती है। उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में लेखाशीर्षक “0049 ब्याज प्राप्तियाँ” मे जमा किया जाना अनिवार्य है।

जिला विकास अधिकारी बागेश्वर में अनुदान पंजिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि विभाग (दिसम्बर 2017) तक मेरा गाँव मेरी सड़क योजना के अन्तर्गत आवंटित/प्राप्त धनराशि पर रु. 198563/- की धनराशि ब्याज के रुप मे अर्जित हुई थी। जिसको विभाग द्वारा राजकोष में जमा नही किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा इस सम्बन्ध मे स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि उक्त अर्जित धनराशि राजकोष मे जमा करने की कार्यवाही की जाए।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 2(ii)

प्रस्तर सं0 02- विधायक निधि के रु. 20.57 लाख के अपूर्ण कार्य।

जिला विकास कार्यालय बागेश्वर द्वारा दो विकास खण्डों मे कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 2016-17 में कुल 444 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष जिला पंचायत को धनराशि इस आश्य से अवमुक्त/स्वीकृत की गई थी कि कार्य 31.03.2017 पूर्ण कर अवमुक्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

परन्तु अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था (जिला पंचायत) द्वारा कुल 421 कार्य पूर्ण किए थे तथा 23 कार्य लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2017) तक अपूर्ण थे। उक्त कार्यों पर रु. 20.57 लाख की धनराशि स्वीकृत थी। जबकि कार्यो के सापेक्ष सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी प्रकार का अन्तरिम समायोजन व्यय का प्रमाण पत्र विकास कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथा कार्यों मे 07 माह से अधिक का विलम्ब हुआ था। तथा कार्यों की भौतिक प्रगति 12 प्रतिशत मे 60 प्रतिशत ही थी।

इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्य प्रगति पर है तथा समय समय पर बैठक कर एवं पत्राचार कर कार्यों के शीघ्र सम्पादन हेतु प्रयास किए जा रहे है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग का दायित्व बनता है कि कार्यदायी संस्था से समय का पालन एवं धनराशि का समयोजन कराना सुनिश्चित करे।

अतः रु. 20.57 लाख के अपूर्ण कार्यो से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर सं0 01- रु. 4.01 लाख की धनराशि का असमायोजित रहना।

त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत अनुदानो से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि दो विकास खण्डों बागेश्वर व गरुड़ मे उक्त योजना के अन्तर्गत 2014-15 मे 13 योजनाएं स्वीकृत थी। जिसके सापेक्ष शासन द्वारा रु. 23.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी परन्तु दिसम्बर 2018 तक दो योजनाए अपूर्ण थी तथा एक योजना जिसकी स्वीकृत राशि रु. 1.35 लाख थी निरस्त थी। रु. 10000/- की धनराशि योजनाओ की बचत राशि थी। तथा रु. 78000/- ब्याज अर्जित राशि थी इस प्रकार कुल रु. 4.01 लाख की धनराशि असमायोजित थी जिसमे रु. 2.23 लाख शासन को समर्पित की जानी थी।

इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि 02 कार्य प्रगति पर है तथा अवशेष धनराशइ रु. 2.23 लाख समर्पित करने हेतु शासन से पत्राचार किया जा रहा है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि धनराशि का लम्बे समय तक उपयोग न होना/अवरुद्ध होना वित्तीय एंव शासकीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर सं0 02- मनरेगा से कराए गए 2594 अपूर्ण कार्य।

मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतो में उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 व 2016-17 में कुल 3621 एवं 1621 कार्य प्रारम्भ किए गए थे जिसमे वर्ष 2015-16 मे 114 कार्य तथा वर्ष 2016-17 मे 2480 कार्य दिसम्बर 2017 तक अपूर्ण थे। सबसे अधिक कार्य विकास खण्ड बागेश्वर मे अपूर्ण थे। कार्यों की भौतिक प्रगति 2016-17 मे 60 से 78 प्रतिशत ही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त मद के अन्तर्गत कार्य ग्राम स्तर पर मजदूरी प्रदान करने हेतु कराए जाते है ताकि स्थानीय जनता को रोजगार मिल सके। परन्तु कार्यों का 01 वर्ष से अधिक तक अपूर्ण रहने के कारण योजना का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता हैं।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला विकास अधिकारी बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i)

   (ii) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

   (ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री के.एन. तिवारी	जिला विकास अधिकारी
(ii)		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला विकास अधिकारी बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय